IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सतत विकास लक्ष्य पूर्ति में ग्राम पंचायतों की भूमिका

[1]डॉ. आनंद तिवारी, [2]रुपाली चौरसिया

[1]सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाकोशल स्वशासी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर म. प्र.

सारांश - सतत विकास संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का एक आदर्श मॉडल है जो यह सुझाता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। इसका उद्देश् वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस तरह प्रयोग करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो ।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), जिसे चौदहवें वेतन आयोग की ऐतिहासिक सिफारिशों के बाद लागू किया गया, पंचायतों के लिए योजना को सतत विकास लक्ष्य से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण से सम्बंधित पंचायती राज्य मंत्रालय का "सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए दृष्टिकोण पत्र का मसौदा" का विस्त्रत विवेचना की गई है। इसमें सतत विकास लक्ष्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका सम्बन्धी विषय पर कार्यात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है। यह महत्वपूर्ण है कि सतत विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थानीय सरकारों के दृष्टिकोण के आधार पर विखण्डित किया जाए और उनके सम्मुख इन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि इन्हें स्थानीय नियोजन और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किया जा सके ।

मूल शब्द - सतत विकास लक्ष्य, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज

[2]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल म. प्र.

प्रस्तावना

सतत विकास लक्ष्यों के सिद्धान्त की उत्पत्ति वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, रियो+20 के दौरान हुई। भारत सहित कुल 193 देशों ने सितंबर 2015 में एक वैश्विक विकास परिकल्पना को आत्मसात किया जिसका नाम था, 'हमारी दुनिया का रूपांतरण': सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 का कार्यक्रम "व्यक्ति, धरती और समृद्धि के लिए एक कार्ययोजना" है। मानवता और पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर कार्यवाही को अगले 15 वर्षों में प्रोत्साहित करने के लिए 2030 एजेंडा में 17 नए सतत विकास लक्ष्य (स.वि.ल.) और 169 उद्देश्य हैं। यह जनवरी 2016 से लागू है और इसकी समयसीमा 2030 तक है।

भारतीय संविधान में उल्लिखित पंचायती राज व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े कार्यों के नियोजन और क्रियान्वयन में प्रभावशाली भूमिका निभाना पंचायतों की ज़िम्मेदारी है। सतत विकास लक्ष्यों के कई उद्देश्य इन्हीं विषयों के दायरे में आते हैं। इसके अलावा कई प्रमुख कार्यक्रम भी हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, स्किल इंडिया और जन धन योजना आदि जिनके मूलभूत आधार सतत विकास लक्ष्य हैं और स्थानीय सरकारें इनमें से कई कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

साहित्यिक समीक्षा –

ग्राम पंचायतों के योजनानुसार विकास को सतत विकास लक्ष्यों से प्राप्त किया जा सकता है जिस विषय में **नरिंदर काकर, निकोलस ए. रॉबिन्सन और वेसलिन पापोव्सकी** द्वारा सम्पादित किताब **'फुलफिलिंग द सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल्स : ऑन ए क्वेस्ट फॉर ए सस्टनेबल वर्ल्ड'** में सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 मानवता और हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एजेंडा 2030 के लॉन्च होने के पांच साल बाद, यह किताब इस बात का जायजा लेती है कि दुनिया कितनी आगे आ गई है और वैश्विक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है । प्रस्तुत पुस्तक यह आकलन करने वाली पहली पुस्तकों में से एक है जो कोविड-19 से एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन पर ऊत्पन्न बाधा की चर्चा करता है । इसलिए इसमें कोविड-19 और सतत विकास लक्ष्य पर एक विशेष अध्याय शामिल किया गया है, जबकि विभिन्न सतत विकास लक्ष्य पर कई विषयगत अध्याय यह भी आकलन करते हैं कि कैसे कोविड-19 ने सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं । इस प्रकार प्रस्तुत किताब एसडीजी के कार्यान्वयन को एक नया रूप प्रदान करता है । अंतरराष्ट्रीय

और राष्ट्रीय रणनीतियों और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से यह एसडीजी प्राप्त करने के तरीके पर विशेषज्ञ सिफारिशों के साथ इस विश्लेषण को मजबूत करता है। साथ ही सतत ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका को **क्रिस्टा बिन्सवांगर और एंड्रिया ज़िम्मरमैन** की किताब **'ट्रांजीशन टू जेंडर इक्वालिटी'** में पांचवे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता को समझाते हुए लिखा गया है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना इसका लक्ष्य है । इस तरह यह सभी प्रकार की हिंसा, अवैतनिक और अस्वीकृत देखभाल और घरेलू काम के साथ-साथ राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर नेतृत्व के समान अवसरों की आवश्यकता को संबोधित करता है । जिन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता के संबंध में बदलाव की आवश्यकता है, वे बहुत व्यापक हैं । पुस्तक जांच के तीन मुख्य क्षेत्रों, 'लैंगिकता', 'अंतर की राजनीति' और 'कार्य और परिवार की 'देखभाल' पर ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित प्रश्न उठाता हैं : जेंडर को अंतर की अन्य श्रेणियों से जोड़कर, जो भेदभाव में शामिल हैं, एक अंतःविषय परिप्रेक्ष्य में जेंडर को कैसे संबोधित किया जा सकता है? जेंडर की द्विअर्थी धारणाएँ किन तरीकों से असमानता की व्यवस्थाओं में भाग ले रही हैं और किन तरीकों से इन द्विआधारों पर सवाल उठाया जा सकता है? हम लैंगिक समानता के संबंध में प्रगति को कैसे माप, नियंत्रित और चित्रित कर सकते हैं और ऐसा करने में हम लैंगिकता को कैसे परिभाषित करते हैं? 'लैंगिक समानता' के संक्रमण का समर्थन करने के लिए तथा लिंग की विविधता को समझने के लिए कौन से दृष्टिकोण की आवश्यकता है?

सतत विकास लक्ष्य और ग्राम पंचायतें - ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करना पड़े इसे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है । पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के अनुसार, "सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसका तात्पर्य वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं भविष्य की पीढ़ियों की क्षमताओं के साथ कोई भी समझौता किये बगैर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है।" (वर्ल्ड कमीशन ऑन इनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, 1987)

Figure 1- सतत विकास लक्ष्य पूर्ति में ग्राम पंचायतों की भूमिका

हालाँकि भारतीयों के लिए सतत विकास कोई नई अवधारणा नहीं है। प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण में भारतीयों की गहरी आस्था बहुत पुरानी है और यह हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित भी होती है। सतत विकास लक्ष्यों के सिद्धान्त की उत्पत्ति वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, रियो+20 के दौरान हुई । भारत सहित कुल 193 देशों ने सितंबर 2015 में एक वैश्विक विकास परिकल्पना को आत्मसात किया जिसका नाम था, 'हमारी दुनिया का रूपांतरण': सतत विकास के लिए एजेंडा 2030' । मानवता और पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर कार्यवाही को अगले 15 वर्षों में प्रोत्साहित करने के लिए 2030 एजेंडा में 17 नए सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य हैं (यूनाइटेड नेशनस डिपार्टमेंट ऑफ़ इकनोमिक एंड सोशल अफेअर्स, 2022)। भारत अब सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ चुका है । नीति आयोग के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों ने सतत विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। राज्य स्तर के अलावा सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय स्तर तक ले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में स्थानीय सरकारों, खास तौर पर ग्राम पंचायतों का महत्त्व बढ़ जाता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीय सरकारों की अहम भूमिका है। भारतीय संविधान में उल्लिखित पंचायती राज व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े कार्यों के नियोजन और क्रियान्वयन में प्रभावशाली भूमिका निभाना पंचायतों की ज़िम्मेदारी है (खेत्रपाल और खेत्रपाल, 2021)। सतत विकास लक्ष्यों के कई उद्देश्य इन्हीं विषयों के दायरे में आते हैं। इसके अलावा कई प्रमुख कार्यक्रम भी हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, स्किल

इंडिया और जन धन योजना आदि जिनके मूलभूत आधार सतत विकास लक्ष्य हैं और स्थानीय सरकारें इनमें से कई कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

ग्रामीण विकास में सतत विकास लक्ष्य

इसके अंतर्गत निम्न **सतत विकास लक्ष्य** से जुड़े हुए है -

सतत विकास लक्ष्य –1 – हर जगह से गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना (गरीबी मुक्त गांव) - गरीबी से निपटना दुनिया की कठिनतम चुनौतियों में से एक है, लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में अभी तक हमें जीत हासिल नहीं हुई है। गरीबी एक बहुआयामी घटना है। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक और अन्य अभाव गरीबी को बढ़ावा देते हैं। गरीबी और बेरोज़गारी की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके लिए एक ठोस कार्य योजना की आवश्यकता है।सतत रोजगार सुनिश्चित करने और गरीबी हटाने के लिए, हमें मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है। इस निवेश

के अंतर्गत हमें नागरिकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सफाई, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, बचत और ऋण, माइक्रो फाइनेंस, बैंक

खाते आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

गरीबी उन्मूलन के लिए ग्राम पंचायतें निम्न दिशाओं में काम कर सकती हैं:

मदद करना	• सामाजिक सुरक्षा मापकों और योजनाओं तक पहुंच, • मनरेगा का प्रभावशाली क्रियान्वयन • कौशल प्रशिक्षण के द्वारा आय सृजन, उद्यमिता विकास, रोजगार, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, माइक्रोफाइनेंस सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, कृषि और पशुपालन में कौशल संवर्धन • जमीन की पैदावार बढ़ाना- सिंचाई, बेहतर बीज, जैव उर्वरक,उचित नवीन तकनीकों की पहचान • मूलभूत सुविधाओं तक पहंच- आवास, जल, स्वच्छता, बिजली,ईंधन, शिक्षा, स्कूलों में मिड-डे मील
लोगों की भागीदारी के द्वारा जिम्मेदारी उठाना	• कौशल और रोज़गार हेतु आवश्यकताओं का मूल्यांकन • गरीबों, निराश्रितों तथा आघातों और आपदाओं से असुरक्षितलोगों की पहचान • सामाजिक सेवाओं तक पहुंच, उनकी उपलब्धता तथा उनकीगुणवत्ता में सुधार हेतु योजना • निराश्रितों और असुरक्षित लोगों की देखरेख और सुरक्षा के लिएकार्यकारी दिशा निर्देशों का निर्माण / अंगीकरण • ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के अंतर्गत निधियों और कार्यक्रमों को एक दूसरे से जोड़ना

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

भूख-मुक्त गाँव के लिए ग्राम पंचायत निम्न दिशाओं में काम कर सकती है:

पंजीकरण	• पीडीएस के अंतर्गत परिवारों का • समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था से गुजर रही लड़कियों का
सुनिश्चित करना	• 6 साल के कम उम्र के बच्चों की वृद्धि की निगरानी • गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं, किशोरावस्था से गुजर रही लड़कियों की आईसीडीएस पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत देखरेख • स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील • भूमि स्वास्थ्य कार्ड के फायदों के बारे में किसानों की जागरुकता
निर्मित करना	• पोषण शिक्षा के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति और कृषि सुधार रणनीतियां • गरीबों और वृद्धों के निश्चित पोषण के लिए सामुदायिक समर्थन प्रणाली • लघु स्तर के उत्पादकों के लिए व्यापक उत्पादन योजना • जलवायु परिवर्तन से सामंजस्य बिठाने के लिए समुदायों कीक्षमता
प्रोत्साहन	• समुदायों के पोषण स्तर में सुधार हेतु बच्चों को स्तनपान • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन • सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश - ड्रिप और स्प्रिंकलर

सतत विकास लक्ष्य –2 – भूख को मिटाना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करनाऔर सतत कृषि को प्रोत्साहित करना (भूख-मुक्त गांव) - भुखमरी या खाद्य असुरक्षा का आशय घरेलू स्तर पर भोजन के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की कमी से है। वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 27.5 के स्कोर के साथ भारत का भुखमरी स्तर गंभीर है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने तथा कुपोषण का मुकाबला करने के लिए हम उचित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का इस्तेमाल कर सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक लोगों की पहुंच बढ़ा सकते हैं, स्तनपान को प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा किशोरों और गर्भवती माताओं के पोषण अवस्था में सुधार हेतु समुचित पोषण सुनिश्चित कर सकते हैं तथा वृद्धों और गरीबों तक सीधे भोजन पहुंचाने वाली योजनाओं को प्रयोग में ला सकते हैं। ये सभी मुद्दे, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को हस्तांतरित किए गए विषयों के समान हैं।

सतत विकास लक्ष्य – 3 – सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन कोप्रोत्साहित करना (एक स्वस्थ गांव की ओर) - खराब स्वास्थ्य एक व्यक्ति को न केवल काम करने से रोकता है, बल्कि इलाज और अस्पताल के खर्च, इंतजार में लगने वाले समय और रोज़गार की समाप्ति के द्वारा संसाधनों को भी घटाता है। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखरेख करने और इसे सुनिश्चित करने से ग्राम पंचायत के सभी कार्यक्रमों का सफल होना तय होगा और इसके लाभ दीर्घकालिक होंगे।विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसारस्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी अथवा दुर्बलता होना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक सुख की अवस्था है।

ग्राम पंचायत निम्न दिशाओं में कम कर सकती है

देखरेख और निगरानी	• स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता • मलेरिया, पानी जनित बीमारियों और अन्य संक्रामक बीमारियों का मुकाबला करने के लिए संपूर्ण स्वच्छता
सुनिश्चित करना	• ग्राम स्वच्छता और पोषण समितियों तथा रोगी कल्याण समिति की प्रभावीकार्यवाही • रेफरल केंद्रों से संपर्क और 24*7 उपलब्ध आपातकालीन सेवाआ का मूलभूत संरचना • परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच • मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ गठबंधनकरना
सुविधा उपलब्ध कराना	• मातृ मृत्यु दर का सामाजिक लेखा परीक्षण • स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में कमजोर व्यक्तियों का नामांकन • गैर संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूकता • स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर बैठे पीड़ा निवारक स्वास्थ्य सेवाएं
प्रोत्साहन	• बीमारियों का उचित समय में निदान और समय से उपचार • सामयिक अभियानों के द्वारा स्वच्छता और सफाई

	• धुआं रहित चूल्हे, खाना बनाने के लिए परिष्कृत चूल्हे, हवा के आवागमन की समुचित व्यवस्था
आईईसी रणनीति का इस्तेमाल	• नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए परिवारों कीमदद हेतु • प्रतिरक्षण सामग्री और स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु • नशीले पदार्थों और शराब के अत्यधिक सेवन सहित मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का हल निकालना

सतत विकास लक्ष्य – 4 – समावेशी, निष्पक्ष और गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना और सभीके लिए शिक्षा के जीवनपर्यन्त अवसर प्रदान करना (सबको शिक्षा) - विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे रोज़गार, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका प्रमुख है। बेहतर रोजगार के लिए नए कौशल प्राप्त करना भी शिक्षा पर निर्भर करता है।भारत ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम' अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियमपारित किया है, यह एक ऐसा अधिनियम है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अ के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्त्व की पष्टि करता है। हालांकि शिक्षा, खासकर के प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सबको शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतें निम्न दिशाओं में काम कर सकती हैं:

सुविधा उपलब्ध कराना	• छात्रवृत्ति, यूनिफार्म, किताबों, मिड-डे मील जैसे अधिकारों तक पहुंच • ऐसे बच्चों की स्कूल तक पहंच जिन्हें विशेष देखभाल कीआवश्यकता है • लड़कियों की स्कूल में निरंतर पढाई सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए शौचालयों का निर्माण • दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के लिए छात्रावास और परिवहन की व्यवस्था
प्रोत्साहन	• शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को प्राप्तअधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना • विद्यालयों में 100 प्रतिशत विद्यार्थियों के नामांकन और पढ़ाई जारी रखने का परिवेश बनाना

	• विद्यालय की मूलभूत भौतिक सुविधाओं/ सामाजिक वातावरण/ बच्चों के मूल्यांकन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक और भागीदारी वाली शिक्षा योजना • आंगनवाड़ियों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की योजना बनाना
मज़बूती देना	• आरटीई के क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए शिक्षा की स्थाई समिति को • साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु पुस्तकालयों को • अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पंचायत लोक शिक्षा समिति की कार्यवाही सुनिश्चित कर पूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) को
निगरानी	• शिक्षा की गुणवत्ता • अगला कदम उठाने के लिए लड़कियों और लड़कों के स्कूल से निकलने की दर और कारण • अगला कदम उठाने के लिए लड़कियों और लड़कों की अनियमित उपस्थिति की दर और कारण

सतत विकास लक्ष्य – 5 – महिला-पुरुष समानता का उद्देश्य प्राप्त करना तथा सभी महिलाओंऔर लड़कियों को सशक्त बनाना (विकास की उत्पत्ति) - भारत का संविधान भेद-भाव से मुक्त भारत की कल्पना करता है। महिला-पुरुष समानता और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए बिना सामाजिक और विकास से जुड़े अंतर को नहीं मिटाया जासकता है। स्थानीय स्तर की सामाजिक संस्थाएं, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रथाओं पर असर डालनेमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिला-परुष समानता के वांछित परिणाम पाने के लिए स्थानीय सामाजिक नेटवर्क, रणनीतिक हस्तक्षेप, नए विचारों के प्रसार और शासन के कार्य में सुधार के जरिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

महिला-पुरुष समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण- भारत का संविधान भेद-भाव से मुक्त भारत की कल्पना करता है। महिला-पुरुष समानता और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए बिना सामाजिक और विकास से जुड़े अंतर को नहीं मिटाया जासकता है।

समाज में समान भागीदारी की चुनौतियाँ -

- महिलाओं के प्रति शारीरिक और मानसिक हिंसा
- बाल विवाह, कम उम्र में शादी, जबरन कराई गई शादी
- यौन शोषण और बंधुआ मज़दूरी के लिए महिलाओं की तस्करी, मजबूरी में किया गया प्रवसन
- वृद्ध और विकलांग महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, उनके स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक संपर्क केलिए सहायता का अभाव
- किशोर युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए सहायता का अभाव
- महिलाओं द्वारा घर में किए जाने वाले अवैतनिक काम का कोई मूल्य न होना। दुनिया भर में महिलाएंपुरुषों की तुलना में तीन गुना अवैतनिक काम करती हैं। वहीं भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 9.8 गुना अधिक अवैतनिक काम करती हैं।
- इन अंतरों को भरने के लिए स्थानीय विकास और हस्तक्षेप ज़रूरी है क्योंकि स्थानीय स्तर की सामाजिक संस्थाएं, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रथाओं पर असर डालनेमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिला-परुष समानता के वांछित परिणाम पाने के लिए स्थानीय सामाजिक नेटवर्क, रणनीतिक हस्तक्षेप, नए विचारों के प्रसार और शासन के कार्य में सुधार के जरिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

महिला-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतें निम्न दिशाओं में काम कर सकती हैं

प्रोत्साहन	• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दर्शन • महिला और पुरुष के बीच भेदभाव के प्रति जागरूकता • स्कूलों में लड़कियों का दाखिला • सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण

मदद करना	• बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने केलिए अभियान चलाना • समुदाय की महिला प्रतिनिधियों और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मिलाकर ग्राम समन्वय समितियों का निर्माण • लोगों की भागीदारी के माध्यम से महिला और पुरुष के बीच समानता कीस्थिति का अध्ययन और उसके परिणामों को ग्राम सभा के सामने रखना • आंगनवाड़ी में सभी बालिकाओं का दाखिला कराना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना • स्वयं सहायता समूह जैसी आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी • महिलाओं की सहूलियत के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ण शक्ति केन्द्रों की स्थापना करना
सुनिश्चित करना	• आजीविका और कौशल विकास कार्यक्रमों में किशोर बालिकाओं का सक्रियसमावेशन • महिलाओं और बच्चों की मौलिक सुविधाओं तक पहुँच • प्रवसन कर रही महिलाओं और लड़कियों का पंजीकरण और उनकीजानकारी रखना • बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे गैर-कानूनी कार्यों को रोकना • स्थानीय विकास, समितियों, कार्य समूहों और स्थानीय शासन में महिलाओंकी सदस्यता और भागीदारी
सशक्त करना	• लड़कियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल के लिए • लड़कियों को श्रम बाज़ार में प्रवेश के लिए

सतत विकास लक्ष्य – 6 – सभी के लिए जल और सफाई की उपलब्धता और सतत प्रबंधनसुनिश्चित करना (स्वच्छ भारत, स्वच्छ गाँव) - जल मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जल के विभिन्न स्रोतों में वर्षा, जलधाराएँ, झीलें, तालाब, खुले कुएं, बोर वेल और ट्यूबवेल आदि शामिल हैं। हर घर में खाना बनाने, पीने, बर्तन धोने, घर साफ करने, नहाने, कपड़े धोने, व्यक्तिगत सफाई, घर के पालतू पशुओं के लिए और घर के आस-

पास के पौधों के लिएपानी की जरूरत होती है। सबसे बड़ी चुनौती प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी सुनिश्चित करना है ताकि जीवन के स्तर को सुधारा जा सके। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत के लिए कई सारी गतिविधिया का जा रही हैं। भारत के लगभगसभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त करायाजाचुका है।

स्वच्छ गाँव के लिए ग्राम पंचायतें निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं:

सुनिश्चित करना	✓ सुधार कार्य के लिए बिना शौच वाले घरों की पहचान ✓ शौचालय का उपयोग और उसका रखरखाव ✓ ठोस और द्रव कचरे के प्रबंधन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना
प्रोत्साहित करना	✓ स्वच्छता के बारे में शिक्षा ✓ सभी घरों और संस्थानों में शौचालय निर्माण ✓ पानी के संरक्षण के लिए कृषि और पानी के उपयोग की आधनिकतकनीकें ✓ पानी की बचत के लिए उचित फसल पद्धति का चुनाव
स्थापित करना	✓ पर्यावरण सुरक्षा के स्थानीय उपाय ✓ पानी के स्रोतों की निगरानी ✓ पानी के स्रोतों की सुरक्षा
योजना बनाना और लागू करना	✓ पर्यावरणीय प्रबंधन ढांचा ✓ पानी की आपूर्ति की योजनाएँ
सुविधा उपलब्ध कराना	✓ सिंचाई के उचित तरीके ✓ मांग के अनुसार स्रोतों से पानी के निष्कर्षण का नियमन

Research Through Innovation

सतत विकास लक्ष्य – 7- सभी के लिए वहन करने योग्य, भरोसेमंद, सतत और आधुनिकऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना (सतत ऊर्जा सभी के लिए) - ऊर्जा हमारे सभी कार्यों के लिए आवश्यक है।विभिन्न अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। हम जीवन के हर पल में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे- जमीन से जल खींचने, खाना बनाने, प्रकाश के लिए, शीतलता के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, रसोई के उपकरणों, औद्योगिक गतिविधियों आदि में।

ग्राम पंचायत निम्न दिशाओं में काम कर सकती है:

सुविधा उपलब्ध कराना	• परिवारों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी या एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिकप्रतिष्ठान, सार्वजनिक भवनों में तथा सिंचाई हेतु बिजली के कनेक्शन
लोकप्रिय करना	•आंगनवाड़ी, स्कूलों और घरों में जैव ईंधन प्रणाली का निर्माण एवं उपयोग। ऊर्जा प्रभावी भवनों का डिज़ाइन, ऊर्जा प्रभावी खाना पकाने के उपकरण और आदतें। •ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाकर (एलईडी बल्ब, बिजली की कम खपत करने वाले उपकरण का प्रयोग)। सिंचाई के लिए ऊर्जा की कम खपत करने वाले पंप और पानी बचाने के लिएड्रिप सिस्टम।
सुविधा उपलब्ध कराना	घरों और सार्वजनिक संस्थानों में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि घरों में ऊर्जा प्रभावी चूल्हों की स्थापना

सतत विकास लक्ष्य – 8 – स्थिर, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और लाभकारीरोजगार और सम्मानजनक काम सुनिश्चित करना (स्थानीय आर्थिक विकास) - स्थानीय आर्थिक विकास से तात्पर्य सिर्फ व्यक्ति विशेष की बुनियादी आवश्यकताओं का विकास नहीं है, बल्कि यह एक साथ काम कर सतत आर्थिक वृद्धि और बेहतर जीवन को प्राप्त करने से सम्बंधित है। रोजगार तथा आय के साधनों को समृद्ध करने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य ग्राम पंचायत में रोजगारों के सृजन, उद्यमशीलता और आर्थिक वृद्धि के लिए अन्य शीर्ष अवसरों को बढ़ावा देना है।

स्थानीय आर्थिक विकास के लिए ग्राम पंचायत निम्न दिशाओं में काम कर सकती है

- खाका तैयार करना- पंचायत क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम , गांवों में उद्योगों के अवसर , विभिन्न श्रेणियों के विकलांगों के लिएरोज़गार के अवसर

- पहचान कर चिन्हित करना, उपक्रमों की स्थापना के लिए समर्थ उम्मीदवार , इच्छुक उम्मीदवार के कौशल की पहचान
- सुविधा उपलब्ध कराना- बाल श्रम की रोकथाम तथा बाल मजदूरी की रोकथामके लिए जागरुकता फैलाना, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार , मनरेगा के कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं , हस्तचलित सफाई की रोकथाम , समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हस्तचलित सफाई केलिए नकद सहयोग का पुनर्वास , उद्यमिता विकास प्रशिक्षण , नए उपक्रमों के लिए समर्थन, जारी योजनाओं और प्रायोजकों को जोड़ते हुएरोज़गार सृजन।
- देखरेख - श्रमिकों और रोजगार का डाटाबेस , विकलांगता की प्रकृति और स्थिति के आधार पर दिव्यांगों कावर्गीकरण
- सृजन- समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं के समान वेतन परजागरुकता, श्रम कानूनों, अधिकारों और पात्रता पर आईईसी सामग्री , ग्रामीण स्तर पर बाल संरक्षण समितियां तथा बाल सुरक्षा सेवाओंको बढ़ावा देना

सतत विकास लक्ष्य – 13 – जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिएत्वरित कदम उठाना (जलवायु की ओर उन्मुखपंचायत) - बारिश. हवा, सूरज की रोशनी आदि के कुछ निश्चित स्वरूप हैं और मानव समाज इसी बदलाव से जानीमिलान करके विकसित हुआ है। लेकिन स्वरूप में परिवर्तन हो सकते हैं और मात्रा व समय में बड़े स्तर के बदलाव हो सकते हैं। कुछ बदलाव इतने छोटे हो सकते हैं कि हो सकता है कि आम लोगों का इस ओर ध्यान भी न जाए पर कुछ बदलाव बहुत बड़े हो सकते हैं। बारिश के संबंध में जब भी ऐसा बदलाव होता है- ज्यादा या बहुत ही कम बारिश होने पर, हवा इत्यादि तब कृषि और पीने के पानी की उपलब्धता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है।

ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं:

- **आईईसी रणनीति का उपयोग करना** - लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी गतिविधियों औरउन्हें कम करने के बारे में जागरूक बनाना, जलवायु परिवर्तन के अनुसार अनुकूलित विधियां अपनाना स्थानीय लोगों तक मौसम के बारे में जानकारी पहुंचाना, बादलों का फटना, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और बहुत अधिक ठंड से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूकता विकसित करना, सामान्य लोगों तक

पिछले और वर्तमान सत्र की जलवायु शैली के बारे में जानकारी पहुंचाना और उस बारे में लोगों को शिक्षित करना

- **तैयार करना और लागू करना** - जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वैकल्पिक कृषि योजना, दलदली ज़मीन, जंगल, ढलान, तटीय क्षेत्र, बाढ़ वाले मैदानों, नदियों के किनारों और धाराओं को संरक्षित करने की योजनाएँ, जल संरक्षण के उचित उपायों की योजनाएँ, जलवायु से जुड़े संकटों के दौरान असुरक्षित जनसंख्या के लिएउचित बचाव योजनाएँ।
- **बनाना** - स्थानीय जलवायु निगरानी प्रणाली, बुरी से बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए कार्य बल, स्थानीय जलवायु निगरानी प्रणाली, बुरी से बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए कार्य बल

सतत विकास लक्ष्य - 15 स्थलीय पर्यावरण प्रणालियों को बचाना और पुनर्स्थापित करना तथा इनकेसतत पोषणीय इस्तेमाल को बढ़ावा देना, जंगलों का सतत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और भूमि क्षरण को रोकना औरसंरक्षित करना तथा जैव विविधता को घटने से रोकना (भविष्य के लिए पर्यावरण प्रणाली कीपुनर्स्थापना)

पर्यावरण प्रणाली को पहले जैसा करने के लिए हमारी ग्राम पंचायत निम्न दिशाओं में काम कर सकती है:

- **प्रोत्साहन** - सूक्ष्म वाटरशेडों और / अथवा पहचान योग्य प्राकृतिक इकाइयों का संरक्षण, जंगलों, जल स्रोतों और पवित्र उपवनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का सामुदायिकप्रबंधन, उच्च ढलान वाले क्षेत्रों, बंजर भूमि और सामुदायिक भूमि पर प्राकृतिकवनस्पति लगाना, भू क्षरण और आक्रामक प्रजातियों की जांच करना, हरित पड़ी का विकास और कैचमेंट संरक्षण , आर्दभूमि का संरक्षण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पौधों की स्थानीय प्रजातियों की नर्सरी लगाना
- शुरुजात करना- वनरोपण और संरक्षण अभियान, आर्दभूमि पर खेती को रसायन मुक्त और सतत पोषणीय बनाना
- विकसित करना - ग्राम पंचायत के लिए जैविक विविधता रजिस्टर, अवैध शिकार, पेड़ों की गैरकानूनी कटान और जंगल में आग लगना रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी तंत्र
- मदद करना - मौजूदा तालाबों में जल भरण, कैचमेंट क्षेत्रों में रोधक बांधों, समोच्चरेखीय बांधों का निर्माण, स्थानीय परिदृश्य से जुड़ी हुई कृषि पद्धति, पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करना, संसाधनों (रेत और जल) के सतत स्तरों का आंकलन

- योजना बनाना - प्रदूषण की निगरानी और घटाने हेतु कदम, जल के वैज्ञानिक उपयोग के साथ संसाधनों (रेत और जल) को साझा करने के प्रबंध, संसाधनों को निकालने में लगे श्रमिकों के लिए वैकल्पिक आजीविका के साधन पर्यावरण प्रणाली के जीर्णोद्धार से जुड़े कार्यक्रमों के मध्य समन्वय और इन्हें आपस में जोड़ना

निष्कर्ष

पंचायती राज मंत्रालय ने एक विजन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है। इसमें व्यापक रूप से नौ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीज) की पहचान की गई है जिनमें पंचायतें बांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन पहचाने गए सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी की समाप्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, स्वच्छ ईधन, आजीविका के लिए सम्मानजनक कार्य और पारिस्थितिकिय तंत्र की पुनर्बहाली तथा वृक्षारोपण शामिल है। इस विजन दस्तावेज ने सतत विकास के अनुरूप केन्द्रीकृत प्रायोजित योजनाओं की तुलना में पंचायतों की भूमिका का मानचित्रण किया है (कोलफर, और अन्य, 2019)। इस सम्बन्ध में आरजीएसए की योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पीआरआई की शासन क्षमताओं को विकसित कर रही है। यह इस तथ्य के कारण है कि देश में गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जेंडर, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि प्रमुख विकास चुनौतियां एसडीजी से संबंधित हैं और पंचायतों के दायरे में आती हैं। इस प्रकार एसडीजी के कार्यान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका है। इसलिए, राज्यों से पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले एसडीजीज़ के क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने को कहा गया है और इसके लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एवं टी) के लिए निधियां प्रदान की गई हैं (पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, 2017)। प्रस्तुत शोध सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण से सम्बंधित पंचायती राज्य मंत्रालय का "सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए दृष्टिकोण पत्र का मसौदा" के माध्यम से पंचायतों की भूमिका सम्बन्धी विषय पर कार्यात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है। एवं सतत विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थानीय सरकारों के दृष्टिकोण के आधार पर विखण्डित कर स्थानीय नियोजन और क्रियान्वयन में सहजता से इस्तेमाल किया जा सके ।

सन्दर्भ सूची

1. कोलफर, करोल जेपैयरस ., जोर्ज विन्केल, ग्लेन गोलोवे, पावलो पचिको, पिया कटीला,और विल दे जोंग. 2019. *ससटेनेबल डेवलपमेंट गोलस.देयर इम्पैक्ट ओन फारेस्ट एंड प्यूपिल :* केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार. 2017. *सतत विकास लक्ष्य और ग्राम पंचायतें.* न्यू दिल्लीपंचायती : . राज मंत्रालय भारत सरकार
3. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार. 2020. "लोकलाईजेशन ऑफ़ ससटेंनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू पंचायती राज इंस्टिट्यूशन". *पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार.* https://www.panchayat.gov.in/documents.
4. बिन्सवांगर, क्रिस्टा और ज़िम्मरमैन, एंड्रिया. 2021. *ट्रांजीशन टू जेंडर इक्वालिटी* मल्टीडीसिप्लीनरी डिजिटल पब्लिशिंग इंस्टिट्यूट बासेल.
5. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों मे अंत करना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/india.
6. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
7. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *समावेशी और न्यायसंगत गुड़बत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा - प्राप्ति के अवसरो को बढ़ावा देना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
8. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदरुस्ती को बढ़ाबा देना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
9. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कारवाई करना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
10. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ाबा देना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
11. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2012. *लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.

12. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
13. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
14. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. 2022. *स्थलीय पारिस्थिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनो का सतत तरीके से प्रवंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और परिवर्तित करना और जैव विविधता की हानि को रोकना.* http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/dashboard/.
15. सिंह, स. प. 2002. "हिरार्की ऑफ़ डेवलपमेंट फंक्शनस ऑफ़ ग्राम पंचायत: अन असेसमेंट ऑफ़ रीप्रसेंटटेटिवस रिस्पोंस." *जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट* 317-349.
16. सिंह, सूरत, और मोहिन्दर सिंह. 2006. *रूरल डेवलपमेंट एडमिनीस्ट्रेशन इन द 21स्ट सेंचुरी: अ मल्टी-डाइमेंनशन स्टडी.* दीप एंड दीप पब्लिकेशनस.
17. सिन्हा, आसिमा. 2016. *वाय हेस डेवलपमेंट बिकम अ पोलिटिकल इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स .* ब्राउन जर्नल ऑफ़ वर्ल्ड अफेयर.
18. सिसोदिया, यतीन्द्र, और आशीष भट्ट. 2017. *मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था: विविध आयाम.* मध्य प्रदेश हिंदी ग्रन्थ एकेडमी.
19. यूनाइटेड नेशनस डिपार्टमेंट ऑफ़ इकनोमिक एंड सोशल अफेअर्स. 2022. *सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स.* https://sdgs.un.org/goals.